बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–78/2016– 3495 /कृ०, पटना, दिनांक 01-09- 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
(+)अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वाराः वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय **Improving Small Farmers Access to Market in Bihar (Financed by Japan Fund for Poverty Reduction-Grant No. 9147 IND) के वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वयन हेतु कुल 417.168 लाख रूपये की लागत पर स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

Improving Small Farmers Access to Market in Bihar (Financed by Japan Fund for Poverty Reduction-Grant No. 9147 IND) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 417.168 लाख रूपये की लागत पर स्वीकृति दी जाती है। यह योजना JFPR से स्वीकृत अनुदान राशि 360.00 लाख रूपये, समुदाय का अंश 52.20 लाख रू0 एवं राज्यांश 4.968 लाख रू0 कुल 417.168 लाख रू0 से कार्यान्वित करायी जायेगी। तत्काल इसके अधीन 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. Improving Small Farmers Access to Market in Bihar (Financed by Japan Fund for Poverty Reduction-Grant No. 9147 IND) के कार्यान्वयन के लिए JFPR से 6.00 लाख यू.एस. डॉलर अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1.00 लाख यू.एस. डॉलर (61,89,530 रूपये) अग्रिम के रूप में वित्त विभाग, बिहार को प्राप्त है। इसके अन्तर्गत JFPR का अंश 360.00 लाख रूपये एवं राज्य सरकार का अंश 4.968 लाख रूपये कुल 364.968 लाख रूपये तथा समुदाय का अंश 52.20 लाख रूपये होगा। इस प्रकार कुल 417.168 लाख रूपये के अधीन योजना क्रियान्वित की जायेगी।

3. तत्काल योजना अंतर्गत 100.00 लाख का बजट उपबंध है। जिसके निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अवशेष राशि अनुपूरक आगणन में प्राप्त की जायेगी। तदोपरांत आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। योजना अंतर्गत JFPR एवं राज्यांश के सामानुपातिक समुदाय द्वारा राशि व्यय कराते हुए योजना को पूर्ण कराने की जवाबदेही कार्यान्वयन एजेंसी की होगी ताकि योजना पूर्ण एवं उपयोगी हो सके।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के कार्यक्रम की सूची अनुसूची–1 संलग्न है। ए.डी.बी. के साथ सम्पन्न ग्रांट एग्रीमेंट के अनुसार योजना की कार्यान्वयन अवधि 30 अप्रैल, 2018 तक निर्धारित है।

5. कार्यक्रम अंतर्गत कम से कम 12 (बारह) कृषक समूह का गठन किया जायेगा, जिसमें 600 कृषक सम्मिलित होंगे। कुल कृषकों में से 30 प्रतिशत महिला या अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्य अपेक्षित होंगे। प्रत्येक कृषक समूह लगभग 50 कृषकों का होगा। उक्त कृषक समूह में से सफलतापूर्वक संचालित दो कृषक समूह को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी में परिवर्तित किया जायेगा। यह कार्यक्रम नालन्दा, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं बक्सर जिला में संचालित किया जायेगा। कम से कम तीन कृषक समूह को क्रेता के साथ एकरारनामा स्थापित किया जायेगा।

6. राज्य अन्तर्गत कृषि विपणन की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं लघु एवं सीमान्त किसानो को विपणन तक क्रमबद्ध करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहमति से एशियन विकास बैंक से ऋण एवं

दान (ग्रांट) का त्रिपक्षीय करार दिनांक 21.11.2011 को किया गया था तथा दिनांकः 21.07.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न एशियन विकास बैंक समर्थित कृषकों के बैकवर्ड लिंकेज के सुदृढ़ीकरण हेतु Improving Small Farmers Access to Market in Bihar (Finance by Japan Fund for Poverty Reduction-Grant No. 9147 IND) कार्यक्रम का क्रियान्वयन जारी रखने हेतु निर्णय लिया गया है।

7. परियोजना निधि राज्य सरकार के द्वारा ग्रांट इम्पलीमेंटेशन यूनिट के Imprest Account में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका व्यय ग्रांट इम्पलीमेंटशन यूनिट द्वारा इम्पलीमेंटशन मैन्यूल एवं ए.डी.बी. के प्रोक्योरमेंट गाईडलाईन के अनुसार किया जायेगा।

8. यह कार्यक्रम जापान फण्ड फॉर पोभर्टी रिडक्सन अन्तर्गत एशियन विकास बैंक के माध्यम से संचालित है। ए०डी०बी० के साथ में हुए अनुबंध के आलोक में बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेन्ट सोसाईटी द्वारा गठित ग्रांट इम्पलीमेंटेशन यूनिट द्वारा संचालित किया जायेगा। ग्रांट इम्पलीमेंटशन यूनिट द्वारा बैकवर्ड लिंकेज हेतु कृषक समूह को प्रशिक्षण के उपरांत उत्पादक कम्पनी में परिवर्तित किया जायेगा।

9. परियोजना निधि राज्य सरकार के द्वारा ग्रांट इम्पलीमेंटेशन यूनिट के Imprest Account में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका व्यय ग्रांट इम्पलीमेंटशन यूनिट द्वारा इम्पलीमेंटशन मैन्यूल एवं ए.डी.बी. के प्रोक्योरमेंट गाईडलाईन के अनुसार किया जायेगा।

10. JFPR ग्रान्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कंसल्टेन्ट के चयन की प्रक्रिया को पूरी कर एशियन विकास बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर NHM/BHDS/168/2012 (PART-I) के पृष्ठ संख्या 39/टि० पर कृषि उत्पादन आयुक्त के अनुमोदनोपरांत मेसर्स ग्लोबल एग्री सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को कंसल्टेन्ट के रूप में चयनित किया गया है, जिनके द्वारा प्रथम चरण अन्तर्गत बेसलाईन सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

11. उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ–साथ व्यवसाय प्रबंधन एवं संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। कृषक समूह सामूहिक रूप से बड़े व्यवसायियों से स्थायी संबंध स्थापित कर कृषि उत्पादो के विपणन का कार्य करेंगे। कृषक समूह के सदस्यों को स्थानीय बाजार में प्राथमिकता दी जायेगी।

12. पायलट कार्यक्रम के अनुभव एवं सफलता के उपरान्त इसे वृहत पैमाने पर लागू किए जाने से सम्पूर्ण राज्य में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज का संतुलन स्थापित किया जा सकेगा, जिसका लाभ विपणन कर्ताओं को मिलेगा।

13. निदेशक उद्यान, बिहार, पटना योजनान्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. प्रशासी विभाग द्वारा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य/अनुदेश में आवश्यकता होने पर संशोधन किया जा सकेगा, साथ ही आवश्यकता अनुसार परियोजना का लक्ष्य प्राप्ति हेतु ग्रांट इम्पलीमेंटशन मैनुअल में संशोधन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी (BHDS) द्वारा किया जा सकेगा।

15. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	तत्काल निकासी हेतु उपलब्ध राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल–कृषि कर्म, मॉग संख्या–1, उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण– उपशीर्ष 0514–एग्रीबिजनेस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड– 01–2401001090514, विषय शीर्ष –0514.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–1383	83.00	302.92344	83.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल–कृषि कर्म, मॉग संख्या–1, उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उपशीर्ष 0532– एग्रीबिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य सम्पोषित परियोजना) विपत्र कोड– 01–2401007890532, विषय शीर्ष–0532.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड–1383	16.00	58.39488	16.00

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	तत्काल निकासी हेतु उपलब्ध राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल–कृषि कर्म, मॉग संख्या–1, उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0554– एग्रीबिजनेस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य सम्पोषित परियोजना)विपत्र कोड–01–2401007960554, विषय शीर्ष–0554.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन, पी० एफ० एम० एस० कोड–1383	1.00	3.64968	1.00
कुल	**100.00**	**364.968**	**100.00**

16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति दिनांक 07.08.2017 को प्राप्त है। एतद् स्वीकृति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–78/2016 के पृ०सं०– 23/टि० पर प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–78/2016 के पृ०सं०– 26/टि० पर दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.9.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पी0पी0एम0–78/2016 3495 /कृ०, पटना, दिनांक 01-09- 2017

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.9.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पी0पी0एम0–78/2016 3495 /कृ०, पटना, दिनांक 01-09- 2017

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.9.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पी0पी0एम0–78/2016 3495 /कृ०, पटना, दिनांक 01-09- 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1.9.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

Improving Small Farmers Access to Market in Bihar (Financed by Japan Fund for Poverty Reduction-Grant No. 9147 IND) कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्भावित व्यय विवरणी :–

क्र० सं०	मद	राशि (लाख रूपये मे)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम	विपत्र कोड	राशि (लाख रूपये मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रशिक्षण, सेमिनार एवं कर्मशाला	188.580	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।	01-2401001090514	302.92344
2	सेवा शुल्क	77.400			01-2401007890532	58.39488
3	ग्रांट प्रबंधन	68.400			01-2401001090554	3.64968
4	अन्यान्य	30.588				
कुल योग :–		**364.968**				**364.96800**

(मो० तीन करोड़ चौसठ लाख छियानवे हजार आठ सौ रूपये मात्र)

निदेशक उद्यान, बिहार
पटना